

270
24/11/17

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक

9229

/पटना, दिनांक

24.11.17

06 नि०/साख (3) बैंक स्था०-80/16

प्रेषक,

नरेन्द्र प्रसाद मंडल (शाखप्रभो),
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०

विषय :- बैंक में संधारित खातों का Adhar-enabled KYC के संबंध में।

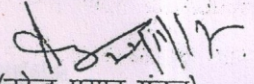
महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि दिनांक-31.12.17 तक बैंक के सभी खातों को Adhar enable KYC किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में दिनांक-18.09.2017 को नाबार्ड के अध्यक्ष के साथ हुयी बैठक में भी चर्चा हुयी है।

अतः अनुरोध है कि आप अपने जिलान्तर्गत कैम्प आयोजित कर बैंक के सभी खातों का Adhar-enable KYC किया जाए ताकि दिनांक-31.12.2017 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित किया जा सके।

कृपया इसे आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन



(नरेन्द्र प्रसाद मंडल)

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

9229

/पटना, दिनांक

24.11.17

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से इस कार्या का अनुश्रवण करते हुए कृपया सुनिश्चित किया जाए कि दिनांक-31.12.2017 तक सभी सहकारी बैंकों के खातों का Adhar enabled KYC का कार्य पूर्ण हो जाए।

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

9229

/पटना, दिनांक

24.11.17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

दी समस्तीपुर डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०

प्रधान कार्यालय

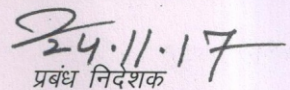
ज्ञापांक

481

/दिनांक

24.11.17

प्रतिलिपि : शाखा प्रबंधक, बैंक की सभी शाखाओं को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित कर दिनांक-31.12.2017 तक सभी बैंक खातों को Adhar enabled KYC का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।


प्रबंध निदेशक